

जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-06/2023-24

पत्रांक..... 82 / मोतिहारी , दिनांक 15-01 / 2024

1. कार्य का विवरण:-

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में (लौटाया नहीं जायेगा)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	निरीक्षण भवन हरसिद्धि (श्रेणी-E) के सम्पोषण कार्य।	2,87,124.00	5,800.00	750.00	17.02.2024

- निविदा आमंत्रण करने की तिथि :- दिनांक 15.01.2024
- परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि :- दिनांक 24.01.2024 से 27.01.2024 तक(कार्यालय अवधि में)
- तकनीकी बीड खुलने की तिथि :- दिनांक 29.01.2024 अपराह्न 4.00 बजे तक।
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
- परिमाण विपत्र बिक्री का कार्यालय :- 1. कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल , मोतिहारी।
2. अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल , मोतिहारी ।
3. मुख्य अभियंता,सिंचाई सृजन,जल संसाधन विभाग मोतिहारी।

- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता , तिरहुत नहर प्रमंडल , मोतिहारी

विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी से मिले या कार्यालय सूचना पद पर देखे।

V/S-1.24

कार्यपालक अभियंता,
तिरहुत नहर प्रमंडल , मोतिहारी



नियम एवं शर्त

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 02 प्रतिशत एवं 100 रू0 के गुणक में जमा करना होगा।
2. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पास बुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे। पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जाएगी।
3. निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य के बैंक ड्रप्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी को भुगतये बैंक ड्रप्ट के रूप में जमा करने पर प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
4. निविदा जो मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः तकनीकी बीड तथा प्राईस बीड रहेगा को समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 05 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र तकनीकी बीड वाले लिफाफे को ही खोला जायेगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों के दूसरा लिफाफा जिसमें प्राईस बीड रहेगा को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निविदाकारों को सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकार तकनीकी बीड में असफल होंगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
5. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589 (एस0) पटना दिनांक 13.12.11 कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रूपया 25,00,000 (रूपये पचीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-04 में पूर्वी चम्पारण के निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
6. निविदा के तकनीकी बीड के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य है:-
 - (क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधन होने का प्रमाण पत्र।
 - (ख) निर्गत प्रमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि, बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में।
 - (ग) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है :- "I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".
 - (घ) जी. एस. टी. प्रणाली अन्तर्गत निबंधन पत्र।

तकनीकी बीड में सफलता का निर्धारण उपरोक्त पाँचों कागजातों के आधार पर ही होगा।
7. संवेदक को लिफाफे के उपर अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नम्बर यथा सम्भव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।
8. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।
9. विभागीय निर्माण सामाग्री उपलब्ध रहने पर संवेदक को निर्गत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध निर्धारित दर पर विपत्र से कटौति कर ली जायेगी।
10. निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर ले बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित षर्तों एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन आनुदेश एवं शर्त निविदा के लिए मान्य होगी।

12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
13. सफल निविदादाता को प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
14. संदेहास्पद कार्य करने वाले जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे संवेदको की निविदा मान्य नहीं होगी।
15. 01 प्रतिशत लेवर शेष की राशि संवेदक के विपत्र से काट कर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।
16. निविदा निविदादाताओं एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
17. संवेदक को उनके द्वारा किये गये कार्य में व्यवहरित सामग्रियों के संबंध में खनन एवं भुतत्व विभाग ,बिहार,पटना एव जल संसाधन विभाग बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश लागू होगा
18. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं०- 447 (s) दिनांक- 16.01.2020,449 (s) दिनांक 16.01.2020 जल संसाधन विभाग बिहार की अधिसूचना सं०- 50 दिनांक- 20.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee को लागू किया गया है तदनुसार Additional Performance Guarantee जमा करना होगा।
19. तकनीकी बीड में कई सफल निविदाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लौट्टरी के माध्यम से किया जायेगा।
20. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय एक या सभी निविदा रद्द/विस्तारित/शुद्धिकरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
21. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी से मिले या कार्यालय सूचना पट्ट पर देखे।
22. जल संसाधन विभाग के पत्रांक- 528 दि०-13.06.2013 के अनुरूप कार्य के अहर्त्ता हेतु जमबीदपबंस इपक के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा-
 - i) अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र ।
 - ii) परिमाण विपत्र के अनुसार वांछित अग्रधन ।
 - iii) निम्न आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो। "I the undersigned ,do hereby certify that all the statements made in the required attachments are the true and correct and if found fake/forget ,the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting. "
 - iv) पैन , जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र।
 - v) आचरण प्रमाण-पत्र।

23. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्र /पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जाएगा।

24. निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों को गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 01/अ.मु. स.-को. /2021/29 दिनांक-25.01.2021 एवं विभागीय पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/879/2012-पार्ट-II-124 दिनांक- 04.02.2021 के आलोक में जिला पुलिस के द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

६०/-

कार्यपालक अभियंता ,
तिरहुत नहर प्रमंडल , मोतिहारी।

पत्रांक.....४२...../ मोतिहारी , दिनांक१५/०१...../ 2024
प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध हैं कि विभागीय website पर प्रचारित करना चाहेंगे।

१५-१-२४

कार्यपालक अभियंता ,
तिरहुत नहर प्रमंडल , मोतिहारी।